रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 24, 1971/माघ 4, 1892

No. 20] NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 24, 1971/MAGHA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd January 1971

G.S.R. 126.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 39 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) and sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 3 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby constitutes for the State of Himachal Pradesh a State cadre of the Indian Administrative Service with effect on and from the 25th January, 1971.

[No. 13/1/70-AIS(I)-(A).]

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1971

सा०का०नि० 126.—हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 39 की उपधारा 2 और भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उपनियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 25 जनवरी, 1971 से हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए भारतीय प्रशासन सेवा का एक राज्य संवर्ग गठित करती है।

[सं० 13/1/70-अ०मा०से० (1)-(क)]

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 39 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) and sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the 25th January, 1971.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, after the heading "Haryana" and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"HIMACHAL PRADESH

1. Posts under the State Government	35
Chief Secretary	1
Financial Commissioner	1
Divisional Commissioner	1
Agricultural Production Commissioner	1
Secretaries to Government	5
Secretary to the Governor	1
Secretary to the Chief Minister	1
Secretary, Public Service Commission	1
Joint Secretaries	2
Excise and Taxation Commissioner	1
Registrar of Co-operative Societies-*cum*-Director of Civil Supplies	1
Director of Industries and Labour Commissioner	1
Director of Panchayats-*cum*-Director of Community Development	1
Commissioner for Transport and Tourism	1
Director of Vigilance	1
Director of Welfare and Inspector-General of Prisons	1

Deputy Secretaries	3
Settlement Officer	1
Deputy Commissioners	10
2. Central Deputation Reserve @ 40 per cent of 1 above	14
	49
3. Posts to be filled by promotion and selection under rule 8 of the IAS (Recruitment) Rules, 1954 @ 25 per cent of 1 and 2 above	12
4. Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 2 minus 3 above	37
5. Deputation Reserve @ 20 per cent of 4 above	7
6. Leave Reserve @ 5 per cent of 4 above	2
7. Junior posts @ 20.60 per cent of 4 above	8
8. Training Reserve @ 10.59 per cent of 4 above	4
Direct Recruitment posts	58
Promotion posts	12
Total authorised strength	70"

[No. 13/1/70-AIS(I)-(B).]

सा०का०नि० 127.—हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 39 की उप-धारा (1) द्वारा और भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम 25 जनवरी, 1971 से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1955 की अनुसूची में "हरियाणा" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित और जोड़ा जायगा, अर्थात्—

"हिमाचल प्रदेश

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	35
मुख्य सचिव	1
वित्त आयुक्त	1
डिवीज़नल कमिश्नर	1
कृषि उत्पादन आयुक्त	1
सरकार के सचिव	5
सचिव, लोक सेवा आयोग	1

राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा निदेशक सिविल सप्लाई	1
उत्पादन-शुल्क तथा कारावान आयुक्त	1
सरकार के संयुक्त सचिव	2
उद्योग निदेशक तथा श्रम आयुक्त	1
निदेशक, पंचायत तथा सामुदायिक विकास	1
परिवहन और पर्यटन आयुक्त	1
सतर्कता निदेशक	1
सरकार के उप सचिव	3
बन्दोबस्त अधिकारी	1
उपायुक्त	10
कल्याण निदेशक तथा महानिरीक्षक (कारावास)	1
	35
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्र०श० के हिसाब से	14
	49
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति और प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद उपयक्त 1 और 2 के 25 प्र० श० के हिसाब से	12
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 घटाकर	37
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्र०श० के हिसाब से	7
6. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्र०श० के हिसाब से	2
7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.60 प्र०श० के हिसाब से	8
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्र०श० के हिसाब से	4
सीधी भर्ती पद	58
पदोन्नति पद	12
कुल प्राधिकृत संख्या	70"

[सं० 13/1/70-अ० भा० से० (1) (ख)]

G.S.R. 128.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (i) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 1971.

(ii) They shall come into force with effect from the 25th January, 1971.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Union Territories" and the entries occuring thereunder the following shall be substituted, namely:—

Union Territories and the Area of the North East Frontier Agency

1. Senior posts under the State Government	72
Posts under Delhi Administration	
Chief Secretary of the Administration	1
Commissioner, Municipal Corporation of Delhi	1
General Manager, Delhi Transport Undertaking	1
Housing Commissioner	1
Director of Vigilance	1
Deputy Commissioner	1
Development Commisioner-cum-Director of Social Welfare	1
Director of Employment Training and Technical Education	1
President, New Delhi Municipal Committee	1
Deputy Commissioners, Municipal Corporation of Delhi	2
Commissioner of Sales Tax	1
Secretaries of Administration	3
Secretary to the Lieutenant Governor	1
Director of Industries	1
Labour Commissioner	1
Director of Transport	1
Registrar of Cooperative Societies	1
Deputy Housing Commissioner	1
Excise Commissioner	1
Deputy Secretaries	3
Additional District Magistrates	3
	28
Posts under the Government of Manipur	
Chief Secretary to the Government	1
Secretaries to the Government	4
Development Commissioner	1
Deputy Commissioners	4
Director of Land Records and Settlement	1
Director of Vigilance	1
	12
Posts under the Government of Tripura	
Chief Secretary to the Government	1
Development Commissioner	1
Finance Secretary	1
District Magistrates and Collectors	3

Additional District Magistrate and Collector	1
Settlement Officer	1
Director of Rehabilitation	1
	9

Posts under the Government of Pondicherry

Chief Secretary to the Government	1
Secretaries to the Government	3
Secretary to the Lieutenant Governor	1
	5

Posts under the Andaman and Nicobar Administration

Chief Secretary	1
Development Commissioner-cum-Development Secretary	1
Secretary (Finance) to the Chief Commissioner	1
Deputy Commissioner	1
Additional Deputy Commissioner	1
	5

Posts under the Laccadive, Minicoy and Amindivi Administration

Administrator	1

Posts under the Government of Goa, Daman and Diu

Chief Secretary to the Government	1
Secretary (Planning)-cum-Development Commissioner	1
Secretaries to the Government	2
Secretary to the Lieutenant Governor	1
Collectors and District Magistrates	2
Director of Industries and Mines	1
Commissioner, Sales Tax, Entertainment Tax and Excise.	1
	9

Posts under the Chandigarh Administration

Secretaries to the Administration	2
Deputy Commissioner	1
	3
2. Central Deputation Reserve @ 40 per cent of 1 above	29
	101
3. Posts to be filled by promotion and Selection under Rule 8 of the I.A.S. (Recruitment) Rules, 1954 @ 25 per cent of 1 & 2 above	25
4. Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 2 minus 3 above	76
5. Deputation Reserve @ 20 per cent of 4 above	36*
6. Leave Reserve @ 5 per cent of 4 above	4
7. Junior posts @ 20.60 per cent of 4 above	16
8. Training Reserve @ 10.59 per cent of 4 above.	8
Direct Recruitment posts	140
Promotion posts	25
Total Authorised Strength	165

*21 posts in excess of 20 per cent of 4 above.

[No. 13/1/70-AIS(I)-(C)]

सा०का०नि० 128.—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम 25 जनवरी, 1971 से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1955 की अनुसूची में "संघ शासित क्षेत्र" शीर्षक और उसके अधीन प्रविशिष्टयों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्—

संघ शासित क्षेत्र और उत्तर पूर्व सीमांत अधिकरण

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	72
दिल्ली प्रशासन के अधीन पद	
प्रशासन के मुख्य सचिव	1
आयुक्त, दिल्ली नगर निगम	1
महा प्रबन्धक, दिल्ली परिवहन	1
आवास आयुक्त	1
सतर्कता निदेशक	1
उपायुक्त	1
विकास आयुक्त व समाज कल्याण निदेशक	1
रोजगार प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा के निदेशक	1
अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका	1
उपायुक्त, दिल्ली नगर निगम	2
बिक्री-कर के आयुक्त	1
प्रशासन के सचिव	3
उप-राज्यपाल के सचिव	1
उद्योग निदेशक	1
श्रम आयुक्त	1
परिवहन निदेशक	1
सहकारिता समितियों के रजिस्ट्रार	1
उप-आवास आयुक्त	1
प्रशासन के उप सचिव	3
अवर जिला मजिस्ट्रेट	3
	28

मणिपुर सरकार के अधीन पद	
सरकार के मुख्य सचिव	1
सरकार के सचिव	4
विकास आयुक्त	1
उपायुक्त	4
भूमि अभिलेख तथा बन्दोबस्त निदेशक	1
सतर्कता निदेशक	1
	12
त्रिपुरा सरकार के अधीन पद	
सरकार के मुख्य सचिव	1
विकास आयुक्त	1
वित्त सचिव	1
जिला मजिस्ट्रेट तथा कलक्टर	3
अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा कलक्टर	1
बन्दोबस्त अधिकारी	1
पुनर्वास निदेशक	1
	9
पांडिचेरी सरकार के अधीन पद	
सरकार के मुख्य सचिव	1
सरकार के सचिव	3
उप-राज्यपाल के सचिव	1
	5
अंडमान व निकोबार प्रशासन के अधीन पद	
मुख्य सचिव	1
विकास आयुक्त व विकास सचिव	1
मुख्य आयुक्त के सचिव (वित्त)	1
उपायुक्त	1
अपर उपायुक्त	1
	5

लक्कादिव मिनीकाय और अमिनदिवि प्रशासन के अधीन पद	
प्रशासक	1
गोवा दमन और दीव की सरकार के अधीन पद	
सरकार के मुख्य सचिव	1
सचिव (योजना)—व विकास आयुक्त	1
सरकार के सचिव	2
उप-राज्यपाल के सचिव	1
कलक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट	2
उद्योग तथा खान निदेशक	1
आयुक्त, बिक्री-कर, मनोरंजन कर तथा उत्पादन शुल्क . . .	1
	9
चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन पद	
प्रशासन के सचिव	2
उपायुक्त	1
	3
	72
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्र० श० के हिसाब से	29
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति और प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्र० श० के हिसाब से	25
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 व 2 में से 3 घटाकर	76
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्र० श० के हिसाब से	*36
6. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्र०श० के हिसाब से	4
7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.60 प्र० श० के हिसाब से	16
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्र० श० के हिसाब से	8
सीधी भर्ती पद	140
पदोन्नति पद	25
कुल प्राधिकृत संख्या	165

*21 पद 20 प्रतिशत से ज्यादा हैं।

[सं० 13/1/70-अ० भा० स० (1)-(ग)]

G.S.R. 129.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 39 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (2) of rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, hereby allocates to the State Cadre of the Indian Administrative Service of Himachal Pradesh, with effect on and from the 25th January, 1971, the following members of the Indian Administrative Service borne on the joint cadre of that service of all the Union territories and North East Frontier Agency, namely:—

Sl. No.	Name	Year of allotment
1.	Shri Uma Nath Sharma	1944
2.	Shri Prem Nath Kaul	1946
3.	Shri Balbir Vohra	1948
4.	Shri L. Tochwang	1951
5.	Shri K. C. Pandeya	1953
6.	Shri H. S. Dubey	1953½
7.	Shri S. C. Jain	1954
8.	Shri Katuk Lama	1955
9.	Shri P. K. Mattoo	1956½
10.	Shri H. R. Mahajan	1958
11.	Shri P. R. Mahajan	1958
12.	Shri Gangesh Misra	1958
13.	Shri B. K, Sharma	1958
14.	Shri P. P. Srivastava	1958
15.	Shri Anupam Dhar	1958
16.	Shri M. M. Sahai Srivastava	1959
17.	Shri B. C. Negi	1960
18.	Shri Anang Pal	1960
19.	Shri C. M. Chaturvedi	1960
20.	Shri R. C. Gupta	1961
21.	Shri Prakash Chand	1961
22.	Shri M. Mukherjee	1962
23.	Shri S. K. Chauhan	1962
24.	Shri S. M. Kanwar	1962
25.	Shri Attar Singh	1962
26.	Shri S. C. Dua	1963
27.	Shri R. K. Anand	1963
28.	Shri Yeshwant Lakshman Rajwade	1964
29.	Shri M. K. Kaw	1964
30.	Shri S. S. Guleri	1964
31.	Shri A. N. Vidyarthi	1964
32.	Shri S. K. Alok	1965
33.	Shri B. B. Tandon	1965
34.	Shri O. P. Yadav	1965
35.	Shri P. T. Wangdi	1965
36.	Shri S. S. Sidhu	1965
37.	Smt. C. P. Sujaya	1965
38.	Shri A. K. Goswami	1966
39.	Shri Harsh Gupta	1966

Sl. No.	Name	Year of allotment
40.	Kumari Manjula Mahajan	1967
41.	Kumari Anjula Thakur	1967
42.	Kumari R. K. Chowdhary	1967
43.	Shri P. S. Negi	1967
44.	Shri Arvind Kaul	1968
45.	Shri Vinod Lall	1968
46.	K. S. Singh	1968
47.	Smt. S. Prasad	1969
48.	Shri C. D. Parsheera	1969
49.	Shri Prem Singh Rana	1970
50.	Shri D. P. Singh	1970
51.	Kumari R. Sahni	1970

[No. 13(1)/70-AIS(I)-(D).]

सा० का० नि० 129.—हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 39 की उपधारा 2 और भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा, अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 25 जनवरी, 1971 से सभी संघ शासित क्षेत्रों और उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण की उस सेवा के निम्नलिखित भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश के भारतीय प्रशासन सेवा राज्य संवर्ग में आवंटित करती है, अर्थात् :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	आवंटन का वर्ष
1.	श्री उमानाथ शर्मा	1944
2.	श्री प्रेम नाथ कौल	1946
3.	श्री बलवीर वोहरा	1948
4.	श्री एल० टेचावंग	1951
5.	श्री के० सी० पांडे	1953
6.	श्री एच० एस० दूबे	1953½
7.	श्री एस० सी० जैन	1954
8.	श्री काटुक लामा	1955
9.	श्री पी० के० माटू	1956½
10.	श्री एच० आर० महाजन	1958

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	आवंटन का वर्ष
11.	श्री पी० आर० महाजन	1958
12.	श्री गणेश मिश्रा	1958
13.	श्री वी० के० शर्मा	1958
14.	श्री आर० पी० श्रीवास्तव	1958
15.	श्री अनुपम धार	1958
16.	श्री एन० एम० सहाय श्रीवास्तव	1959
17.	श्री वी० सी० नेगी	1960
18.	श्री अनंग पाल	1960
19.	श्री सी० एम० चतुर्वेदी	1960
20.	श्री आर० सी० गुप्ता	1961
21.	श्री प्रकाश चन्द	1961
22.	श्री एम० मुकर्जी	1962
23.	श्री एस० के० चौहान	1962
24.	श्री एस० एम० कंवर	1962
25.	श्री अतर सिंह	1962
26.	श्री एस० सी० दुआ	1963
27.	श्री आर० के० आनन्द	1963
28.	श्री यशवंत लक्ष्मण राजवाडे	1964
29.	श्री एम० के० काव	1964
30.	श्री एस० एस० गुलेरी	1964
31.	श्री ए० एन० विद्यार्थी	1964
32.	श्री एस० के० अलोक	1965
33.	श्री वी० वी० टंडन	1965
34.	श्री ओ० पी० यादव	1965
35.	श्री पी० टी० वांगडी	1965
36.	श्री एस० एस० सिद्धू	1965
37.	श्रीमती सी० पी० सुजाया	1965
38.	श्री एस० के० गोस्वामी	1966
39.	श्री हर्ष गुप्ता	1966
40.	कुमारी मंजुला महाजन	1966
41.	कुमारी अंजुला ठाकुर	1967

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	आवंटन का वर्ष
42.	कुमारी आर० के० चौधरी	1967
43.	श्री पी० एस० नेगी	1967
44.	श्री अरविंद कौल	1968
45.	श्री विनोद लाल	1968
46.	श्री के० एस० सिंह	1968
47.	श्रीमति एस० प्रसाद	1969
48.	श्री सी० डी० पर शेरा	1969
49.	श्री प्रेम सिंह राणा	1970
50.	श्री डी० पी० सिंह	1970
51.	कुमारी आर० साहनी	1970

[सं० 13/1/70-अ०भा०से० (1)-(ब).]

G.S.R. 130.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 39 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) and sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following further amendments to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 25th January, 1971.

2. In Schedule III appended to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954—

(a) under the heading "A—Posts carrying pay above the time-scale pay in the Indian Administrative Service under the State Governments" in the Table,—

(i) after the entries relating to Haryana, the following entries shall be inserted, namely:—

State	Particulars of Posts	Pay
"Himachal Pradesh	Chief Secretary	Rs. 3000/-
	Financial Commissioner	Rs. 2500—125/2—2750.
	Divisional Commissioner	Do.
	Agricultural Production Commissioner	Do. "

(ii) for the entry "Union Territories" occurring in the first column, the entry "Union territories and North East Frontier Agency" shall be substituted;

(iii) the sub-heading "Government of Himachal Pradesh" and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) under the heading "B-Posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time-scale", in the Table—

(i) after the entries relating to "Haryana", the following entries shall be inserted, namely:—

State	Particulars of Posts
'Himachal Pradesh	Secretaries to Government.
	Secretary to the Governor.
	Secretary to the Chief Minister.
	Secretary, Public Service Commission.
	Joint Secretaries.
	Excise and Taxation Commissioner.
	Registrar of Co-operative Societies-cum-Director of Civil Supplies
	Director of Industries and Labour Commissioner.
	Director of Panchayats-cum-Director of Community Development
	Commissioner for Transport and Tourism.
	Director of Vigilance.
	Director of Welfare and Inspector-General of Prisons.
	Deputy Secretaries.
	Settlement Officer.
	Deputy Commissioners";

(ii) for entry "Union Territories" occurring in the first column, the entry "Union territories and North East Frontier Agency" shall be substituted;

(iii) the sub-heading "Government of Himachal Pradesh" and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 13/1/70-AIS(I)-(G)]

सा० का० नि० 130.—हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 39 की उपधारा (3) द्वारा और भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) तीसरी संशोधन नियम 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम 25 जनवरी, 1971 से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 की अनुसूची III में–

(क) क–राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद' शीर्षक के अधीन सारणी में—

(i) हरियाणा से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

राज्य	पदों का विवरण	वेतन
'हिमाचल प्रदेश'	मुख्य सचिव	3000 रु०
	वित्त आयुक्त	2500–125/2–2750
	कृषि उत्पादन आयुक्त	2500–125/2–2750
	डिविजनल कमीश्नर	2500–125/2–2750

(ii) पहले कालम में 'संघ शासित क्षेत्र' प्रविष्टि के स्थान पर 'संघ शासित क्षेत्र और उत्तर पूर्व सीमांत अभिकरण' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी;

(iii) 'हिमाचल प्रदेश सरकार' उपशीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां हटा दी जायेंगी;

(ख) 'ख–समय वेतनमान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के बारे में वेतनमान के वेतन वाले पद' शीर्षक के अधीन, सारणी में—

(i) 'हरियाणा ' से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी :—

राज्य	पदों का विवरण
'हिमाचल प्रदेश'	सरकार के सचिव
	सचिव लोक सेवा आयोग
	राज्यपाल के सचिव
	मुख्य मंत्री के सचिव
	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा निदेशक सिविल सप्लाई
	उत्पादन शुल्क तथा कराधान आयुक्त
	सरकार के संयुक्त सचिव
	उद्योग निदेशक तथा श्रम आयुक्त
	निदेशक पंचायत तथा सामुदायिक विकास
	परिवहन और पर्यटन आयुक्त
	सतर्कता निदेशक
	सरकार के उप सचिव
	बन्दोबस्त अधिकारी
	उपायुक्त
	कल्याण निदेशक तथा महानिरीक्षक (कारावास)

(ii) प्रथम कालम में 'संघ शासित क्षेत्र' प्रविष्टि के स्थान पर, 'संघ शासित क्षेत्र और उत्तर पूर्व सीमांत अभिकरण' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) 'हिमाचल प्रदेश सरकार' उपशीर्षक और उससे संबंधी प्रविष्टियां हटा दी जायेंगी

[सं० 13/1/70-अ०मा०से० (i) (ख)]

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 39 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) and sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 3 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby constitutes for the State of Himachal Pradesh a State cadre of the Indian Police Service with effect on and from the 25th January, 1971.

[No. 13/1/70-AIS(I)-(A)(I)]

सा० का० नि० 131.—हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 39 की उपधारा 2 और भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 25 जनवरी, 1971 से हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए भारतीय पुलिस सेवा का एक राज्य संवर्गठित करती है ।

[सं० 13/1/70-अ०मा०से० (i) (क) (i)]

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 39 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) and sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) First Amendment Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the 25th January, 1971.

2. In the Schedule the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, after the heading "Haryana" and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

HIMACHAL PRADESH

1. Post under the State Government	18
Inspector General of Police	1
Deputy Inspector General of Police	1
Assistant Inspector General of Police (Crime and Intelligence)	1
Assistant Inspector General of Police (Headquarters)	1
Battalion Commandants	2
Superintendent of Police Traffic and Railways	1
Superintendent of Police Vigilance	1
Superintendents of Police Districts	10
2. Central Deputation Reserve @40% of 1 above	7
	25

3. Posts to be filled by promotion and selection under rule 8 of the IPS (Recruitment) Rules, 1954 @25% of 1 and 2 above.	6
4. Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 2 minus 3 above.	18
5. Deputation Reserve @20% of 4 above.	4
6. Leave Reserve @5% of 4 above.	1
7. Junior posts @20.60% of 4 above.	4
8. Training Reserve @10.59% of 4 above.	2
Direct Recruitment posts	30
Promotion posts	6
Total authorised strength	36

[No. 13/1/70-AIS(I)-(B-1)]

सा० का० नि० 132.—हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 39 की उप-धारा 2 और भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है; अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम 25 जनवरी, 1971 से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में 'हरियाणा" शीर्षक और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

हिमाचल प्रदेश

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ट पद		18
पुलिस महानिरीक्षक	1	
उप पुलिस महानिरीक्षक	1	
सहायक पुलिस महानिरीक्षक	1	
पुलिस अधीक्षक (जिला)	10	
पुलिस अधीक्षक, सी० आई० डी०	1	
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता	1	
पुलिस अधीक्षक, यातायात व रेलवे	1	
पुलिस अधीक्षक, हिमाचल सशस्त्र पुलिस	2	
	18	

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	
ऊपर 1 के 40 प्र० श० के हिसाब से	7
	25
3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति और प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद	
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में 3 घटा कर	19
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व	4
उपर्युक्त 4 के 20 प्र० श० के हिसाब से	
6. छुट्टी रिजर्व	1
उपर्युक्त 4 के 5 प्र० श० के हिसाब से	
7. कनिष्ठ पद	4
उपर्युक्त 4 के 20.60 प्र० श० के हिसाब से	
8. प्रशिक्षण रिजर्व	2
उपयुक्त 4 के 10.59 प्र० श० के हिसाब से	
सीधी भर्ती पद	30
पदोन्नति पद	6
प्राधिकृत संख्या	36

[सं० 13/1/70-अ०भा० से० (1)-(ख-1)]

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of All-India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the 25th January, 1971.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Union Territories" and the entries occurring thereunder the following shall be substituted, namely:—

"UNION TERRITORIES

1. Senior posts under the State Governments	37
Posts under the Delhi Administration	
Deputy Inspector-General of Police (Range)	1
Deputy Inspector-General of Police (Administration)	1
Deputy Inspector-General of Police (Armed Police)	1
Assistant Inspector-General of Police	2
Superintendents of Police (District)	8
Superintendent of Police, C.I.D. S.B.)	1
Superintendent of Police, Crime and Railway	1
Superintendent of Police, Security	1
Superintendent of Police, Traffic	1
Commandants, Delhi Armed Police	3
Superintendent of Police, Anti-Corruption	1
Superintendent of Police, Lines	1
Superintendent of Police, Vigilance	1
Additional Superintendents of Police	8
	21
Posts under the Government of Manipur	
Inspector-General of Police	1
Superintendent of Police (Headquarters)	1
Superintendent of Police, C.I.D.	1
Superintendent of Police	1
Additional Superintendent of Police	1
Commandants, Manipur Rifles.	2
	7
Posts under the Government of Tripura	
Inspector-General of Police	1
Superintendent of Police	1
Additional Superintendent of Police	1
Commandant, Tripura Armed Police	1
	4
Post under the Government of Pondicherry	
Inspector General of Police	1
Post under the Andaman and Nicobar Administration	
Superintendent of Police	1
Posts under the Government of Goa, Daman and Diu	
Inspector General of Police	1
Superintendent of Police	1
	2
Post under the Chandigarh Administration	
Senior Superintendent of Police	1
	37
2. Central Deputation Reserve @40% of 1 above.	15
	52

3. Posts to be filled by promotion and Selection under Rule 8 of the IPS (Recruitment) Rules, 1954 @25% of 1 & 2 above.	13
4. Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 2 minus 3 above.	39
5. Deputation Reserve @20% of 4 above.	8
6. Leave Reserve @5% of 4 above.	2
7. Junior posts @20.60% of 4 above.	8
8. Training Reserve @10.59% of 4 above.	4
Direct Recruitment posts	61
Promotion posts.	13
Total Authorised Strength.	74

[No. 13/1/70-AIS(I)-(C-1)]

सा० का० नि० 133.—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये विनियम 25 जनवरी, 1971 से लागू होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1955 की अनुसूची में "संघ शासित क्षेत्र" शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"संघ शासित क्षेत्र

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद		37
दिल्ली प्रशासन के अधीन पद		
पुलिस उप महानिरीक्षक (रेंज)	1	
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन)	1	
पुलिस उप महानिरीक्षक (सशस्त्र पुलिस)	1	
पुलिस सहायक महानिरीक्षक	2	
पुलिस अधीक्षक (जिला)	3	
पुलिस अधीक्षक, सी० आई० डी० (एस० बी०)	1	
पुलिस अधीक्षक, अपराध, व रेलवे	1	
पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा	1	

पुलिस अधीक्षक, यातायात	1
कमांडेंट, दिल्ली सशस्त्र पुलिस	3
पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोध	1
पुलिस अधीक्षक, लाइन्स	1
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता	1
पुलिस अपर अधीक्षक	3
	21

मणिपुर सरकार के अधीन पद

पुलिस महानिरीक्षक	1
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)	1
पुलिस अधीक्षक, (सी० आई० डी०)	1
पुलिस अधीक्षक	1
पुलिस अपर अधीक्षक	1
कमांडेंट, मणिपुर राइफल्स	2
	7

त्रिपुरा सरकार के अधीन पद

पुलिस महानिरीक्षक	1
पुलिस अधीक्षक	1
पुलिस अपर अधीक्षक	1
कमांडेंट, त्रिपुरा सशस्त्र, पुलिस	1
	4

पांडिचेरी सरकार के अधीन पद

पुलिस महानिरीक्षक	1

अंडमान, निकोबार प्रशासन के अधीन पद

पुलिस अधीक्षक	1

गोवा दमन व द्वीव सरकार के अधीन पद

पुलिस महानिरीक्षक	1
पुलिस अधीक्षक	1
	2

चंडीगढ़, प्रशासन के अधीन पद	
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	1
	37
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्र० श० के हिसाब से	15
	52
3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति व प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्र० श० के हिसाब से	13
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 घटा कर	39
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्र० श० के हिसाब से	8
6. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्र० श० के हिसाब से	2
7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.60 प्र० श० के हिसाब से	8
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्र० श० के हिसाब से	4
सीधी भर्ती पद	61
पदोन्नति पद	13
कुल प्राधिकृत संख्या	74

[सं० 13/1/70-अ० भा० से० (1)-(ग-1)]

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 39 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) and sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following amendments to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) First Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 25th January, 1971.

2. In Schedule III appended to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954—

(a) under the heading "A-Posts carrying pay above the time-scale pay in the Indian Police Service under the State Governments" in the Table—

(i) after the entries relating to "Haryana", the following entries shall be inserted, namely:—

State	Particulars of Posts	Pay/scale of pay
"Himachal Pradesh	Inspector General of Police	Rs. 2500—125/2—2750.
	Deputy Inspector General of Police	Rs. 1600—100—2000

(ii) under the sub-heading "Union territories", the entry "Government of Himachal Pradesh", occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns thereto, shall be omitted;

(b) under the heading "B-Posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Police Service under the State Governments, including posts carrying special pays in addition to pay in the time-scale" in the Table—

(i) after the entries relating to "Haryana", the following entries shall be inserted, namely:—

State	Particulars of Posts
"Himachal Pradesh	Assistant Inspector General of Police (Crime & Intelligence)
	Assistant Inspector General of Police (Headquarters).
	Battalion Commandants.
	Superintendent of Police Traffic & Railways.
	Superintendent of Police Vigilance.
	Superintendents of Police, Districts".

(ii) under the sub-heading "UNION TERRITORIES", the entry "Government of Himachal Pradesh", occurring in the first column and the corresponding entries in the second column thereto, shall be omitted.

[No. 13/1/70-AIS(I)-(G-1).]

सा० का० नि० 134.—हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 39 की उपधारा (3) द्वारा और भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम 25 जनवरी, 1971 से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में—

(क) "क—राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद" शीर्षक के अधीन, सारणी में:—

(i) हरियाणा से सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

राज्य	पदों का विवरण	वेतन
"हिमाचल प्रदेश"	(1) पुलिस महा निरीक्षक	2500—125/2—2750
	(2) उप पुलिस महा निरीक्षक	1600—100—2000

(ii) "संघ शासित क्षेत्र" के उपशीर्षक में पहले कालम और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां "हिमाचल प्रदेश सरकार" जो कालम 2 और 3 में हैं हटा दी जाय ;

(ख) "ख—समय वेतनमान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के वेतन वाले पद" शीर्षक के अधीन सारणी में —

(i) "हरियाणा" से सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायगी :—

राज्य	पदों का विवरण
"हिमाचल प्रदेश"	पुलिस सहायक महा निरीक्षक (अपराध तथा खुफिया) पुलिस सहायक महा निरीक्षक (मुख्यालय) बटालियन कमांडेंट्स [पुलिस अधीक्षक, यातायात व रेलवे पुलिस अधीक्षक, सतर्कता [पुलिस अधीक्षक (जिला)"

() "संघ शासित क्षेत्र" के उपशीर्षक में पहले कालम और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां "हिमाचल प्रदेश सरकार" जो कालम 2 और 3 में हैं, हटा दी जायें ।

[सं० 13/1/70 अ० भा० से (1) (छ-1)]

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951) and sub-section (3) of section 39 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 read with sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the 25th January, 1971.

2. In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, after the heading 'HARYANA' and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

"HIMACHAL PRADESH

1. Senior posts under the State Government		39
Chief Conservator of Forests	1	
Deputy Chief Conservator of Forests	1	
Conservator of Forests	5	
Conservator of Forests, Working Plan	1	
Conservator of Forests, Development and Wild Life	1	
Deputy Conservator of Forests	26	
Deputy Conservator of Forests, Timber Extraction Division	1	
Deputy Conservator of Forests, Silvicultural Forest Division	1	
Deputy Conservator of Forests, Working Plan Division	1	
Deputy Conservator of Forests, Training Division	1	
	39	
2. Senior posts under the Central Government		3
		42
3. Posts to be filled by promotion in accordance with rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966.	14	
4. Posts to be filled by direct recruitment		28
5. Deputation Reserve @15% of 4 above		4
6. Leave Reserve @11% of 4 above		3
7. Junior posts @20% of 4 above		6
8. Training Reserve @5% of 4 above		1
Direct Recruitment Posts		42
Promotion quota posts		14
Total Authorised Strength		56"

[No. 6/1/71 (i)-AIS(IV)]

जी० एस० आर० 135.—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित हिमालय प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 की धारा 39 की उप-धारा (3) और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम 25 जनवरी, 1971 से लागू होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1966 की अनुसूची में:—

(1) "हरियाणा' शीर्षक और उसके अधीन दी गई प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

"हिमाचल प्रदेश

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद		39
मुख्य वनपाल	1	
उप मुख्य वनपाल	1	
वन पाल	5	
वन पाल, कार्यकारी योजना	1	
वन पाल, विकास और वन्य जीवन	1	
उप वन पाल	26	
उप वन पाल, टिम्बर, एक्सट्रेक्शन डिवीजन	1	
उप वन पाल, सिल्वीकलचरल वन प्रभाग	1	
उप वन पाल, कार्यकारी योजना प्रभाग	1	
उप वन पाल, प्रशिक्षण प्रभाग	1	
	39	
2. केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ		3
		42
3. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के अनुसार भरे जाने वाले पद ।		14
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जान वाले पद		28
5. प्रति नियुक्ति रिजर्व ऊपर 4 के 15 प्रतिशत के हिसाब से		4

6. छुट्टी रिज़र्व ऊपर 4 के 11 प्रतिशत के हिसाब से	3
7. कनिष्ठ पद ऊपर 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से	6
8. प्रशिक्षण रिजर्व, ऊपर 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	1
सीधी भर्ती वाले पद	42
पदोन्नति कोटा पद	14
कुल प्राधिकृत संख्या	56"

[सं० 6/1/71-(i)—ग्र० मा० से० (4)]

G.S.R. 136.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre), Rules, 1966, the entral Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the 25th January, 1971.

2. In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the existing entries under heading "Union Territories", the following entries shall be substituted, namely:—

"1. Senior posts under the Union territories	19
(a) **Posts under the Andaman & Nicobar Administration**	
Chief Conservator of Forests	1
Conservator of Forests	2
Deputy Conservator of Forests	3
Deputy Conservator of Forests, Depot Division	1
Deputy Conservator of Forests, Mill Division	1
Deputy Conservator of Forests, Silviculture	1
Deputy Conservator of Forests, Working Plan	1
(b) **Posts under the Government of Tripura**	
Conservator of Forests	1
Deputy Conservator of Forests	3
(c) **Posts under the Government of Goa, Daman and Diu**	
Conservator of Forests	1
Deputy Conservator of Forests	2
(d) **Post under the Government of Manipur**	
Deputy Conservator of Forests	1
(e) **Posts under the Dadra and Nagar Haveli Administration**	
Deputy Conservator of Forests	1
	19
2. Senior posts under the Central Government	2
	21

3. Posts to be filled by promotion in accordance with rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966.	7
4. Posts to be filled by direct recruitment	14
5. Deputation Reserve @15% of 4 above	2
6. Ad-hoc Additional Deputation Reserve	10
7. Leave Reserve @11% of 4 above	2
8. Junior posts @20% of 4 above	3
9. Training Reserve @5% of 4 above	1
10. Special Deputation Reserve	56
Direct Recruitment Posts	88
Promotion quota posts	7
Total Authorised Strength	95"

[No. 6/1/71-(II)-AIS(IV)]

जी० एस० आर० 136.—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1966 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्न-लिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम 25 जनवरी, 1971 से लागू होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1966 की अनुसूची में "संघ-शासित क्षेत्र" शीर्षक के अधीन वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रति-स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1. संघ शक्ति क्षेत्रों के अधीन वरिष्ठ पद		19
(क) अण्डमान व निकोबार प्रशासन के अधीन पद—		
मुख्य वन पाल	1	
वन पाल	2	
उप वन पाल	3	
उप वन पाल, डिपो प्रभाग	1	
उप वन पाल, मिल प्रभाग	1	
उप वन पाल, वन वृक्ष विज्ञान	1	
उप वन पाल, कार्यकारी योजना	1	
(ख) त्रिपुरा सरकार के अधीन पद—		
वन पाल	1	
उप वन पाल	3	

(ग) गोवा, दमन और द्वीप सरकार के अधीन पद—	
वन पाल	1
उप वन पाल	2
(घ) मणिपुर सरकार के अधीन पद—	
उप वन पाल	1
(ङ) दादरा व नगर हवेली प्रशासन के अधीन पद—	
उप वन पाल	1
	19
2. केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	2
	21
3. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद	7
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद	14
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 15 प्रतिशत के हिसाब से	2
6. तदर्थ अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति रिजर्व	10
7. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 11 प्रतिशत हिसाब से	2
8. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से	3
9. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	1
10. विशेष प्रतिनियुक्ति रिजर्व	56
सीधी भर्ती पद	88
पदोन्नति पद	7
कुल प्राधिकृत संख्या	95"

[सं० 6/1/71 (ii)–अ० भा० से० (4)]

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 39 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) and sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 3 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby constitutes for the State of Himachal Pradesh a State cadre of the Indian Forest Service with effect on and from the 25th January, 1971.

[No. 6/1/71-(iii)-AIS(IV)]

सा० का० नि० 137.—हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 39 की उप धारा (2) और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस सम्बन्ध में अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 25 जनवरी, 1971 से हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए भारतीय वन सेवा का एक राज्य संवर्ग गठित करती है ।

[सं० 6/1/71—(iii) —अ० भा० से०—(4)

G.S.R. 138.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 25th January, 1971.

2. In Schedule III appended to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968—

(a) under the heading "A-Posts carrying pay above the time-scale of pay of the Indian Forest Service under the State Governments" in the Table—

(i) after the entries relating to "Haryana", the following entries shall be inserted, namely:—

State	Particulars of Posts	Pay/scale of pay
		Rs.
"Himachal Pradesh	Chief Conservator of Forests	2,000—125—2,250.
	Deputy Chief Conservator of Forests	1,800—100—2,000
	Conservator of Forests, Development and Wild Life	1,300—60—1,600—100—1,800.
	Conservator of Forests	1,300—60—1,600—100—1,800.
	Conservator of Forests, Working Plan	1,300—60—1,600—100—1,800."

(ii) under the sub-heading "UNION TERRITORIES", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

State	Particulars of Posts	Pay/scale of pay
		Rs.
"Andaman and Nicobar Islands.	Chief Conservator of Forests	2,000—125—2,250
	Conservator of Forests	1,300—60—1,600—100—1,800.
Tripura ;	Conservator of Forests	1,300—60—1,600—100—1,800.
Goa, Daman and Diu	Conservator of Forests	1,300—60—1,600—100—1,800."

(b) under the heading "B-Posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time-scale", in the Table,—

(i) after the entries relating to "Haryana", the following entries shall be inserted, namely:—

State	Particulars of Posts
"Himachal Pradesh	Deputy Conservator of Forests.
	Deputy Conservator of Forests, Timber Extraction Division.
	Deputy Conservator of Forests Silvicultural Forest Division
	Deputy Conservator of Forests, Working Plan Division.
	Deputy Conservator of Forests, Training Division.";

(ii) under the sub-heading "UNION TERRITORIES", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

State	Particulars of Posts
"Andaman and Nicobar Islands.	Deputy Conservator of Forests.
	Deputy Conservator of Forests, Depot, Division.
	Deputy Conservator of Forests. Mill Division.
	Deputy Conservator of Forests. Silviculture.
	Deputy Conservator of Forests, Working Plan.
Tripura	Deputy Conservator of Forests.
Goa, Daman and Diu	Deputy Conservator of Forests.
Manipur	Deputy Conservator of Forests.
Dadra and Nagar Haveli	Deputy Conservator of Forests."

[No. 8/1/71-AIS(IV)]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

सा० का० नि० 138.— भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार राज्य वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. (1) "ये नियम भारतीय वन सेवा (वेतन) (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम 25 जनवरी, 1971 से लागू होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 के साथ संलग्न अनुसूची III में, (क) सारणी में "क—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के समय वेतन मान से अधिक वेतन वाले पद" शीर्षक के अधीन —

(i) "हरियाणा" से सम्बन्धित प्रविष्ठियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्ठियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

राज्य	पदों का विवरण	वेतन/ वेतन-मान
"हिमाचल प्रदेश	मुख्य वन संरक्षक	2000-125-2250
	उप मुख्य वन संरक्षक	1800-100-2000
	वन संरक्षक, विकास तथा वन्य जीवन	1300-60-1600-100-1800
	वन संरक्षक	1300-60-1600-100-1800
	वन संरक्षक, कार्यकारी योजना	1300-60-1600-100-1800

(ii) उप-शीर्षक "संघ शासित क्षेत्र" के अधीन वर्तमान प्रविष्ठियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिष्ठियां प्रतिस्थापित की जायेंगी अर्थात :—

राज्य	पदों का विवरण	वेतन/ वेतन-मान
"अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	मुख्य वन संरक्षक	2000-125-2250
	वन संरक्षक	1300-60-1600-100-1800
त्रिपुरा	वन संरक्षक	1300-60-1600-100-1800
गोवा, दमन, दियु	वन संरक्षक	1300-60-1600-100-1800"

(ख) सारणी में "ख—राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ समय-मान के वेतन वाले पद, जिनमें समय-मान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन-वाले पद भी शामिल हैं" शीर्षक के अन्तर्गत (i) 'हरियाणा' से सम्बन्धित प्रविष्ठियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात :—

राज्य	पदों का विवरण
"हिमाचल प्रदेश	उप वन संरक्षक
	उप वन संरक्षक, टिम्बर एक्सट्रैक्शन डिवीजन
	उप वन संरक्षक, सिल्विकलचरल फोरेस्ट डिवीजन
	उप वन संरक्षक, कार्यकारी योजना खण्ड
	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण खण्ड"

(ii) "संघ शासित क्षेत्र" उप शीर्षक के अधीन वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात :—

"राज्य	पदों का विवरण
अण्डमान व निकोबार द्वीप समू	उप वन संरक्षक
	उप वन संरक्षक, डिपो खण्ड ।
	उप वन संरक्षक, मिल खण्ड ।
	उप वन संरक्षक, सिल्वीकलचर ।
	उप वन संरक्षक, कार्यकारी योजना ।
त्रिपुरा	उप वन संरक्षक
गोवा, दमन और दीयु	उप वन संरक्षक
मणिपुर	उप वन संरक्षक
दादरा व नागर हवेली	उप वन संरक्षक

[सं० 8/1/71—अ० मा० से० (4)]

(अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव,

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971